भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारी पानी बोर्ड सुविधाएं, वडोदरा

डाकघर : फर्टिलाइजरनगर

जिला : वड़ोदरा – 391750

HWBF(V)/ADMN/CHSS/2026/ 850 Date : 24-06-2026

परिपत्र CIRCULAR

विषय : सीएचएसएस डिस्पेंसरी, भारी पानी बोर्ड सुविधाएं (वडोदरा) में फ़ार्मेसी सेवा की आउटसोर्सिंग - के संबंध में ।

Sub : Outsourcing of Pharmacy Services in CHSS Dispensary, HWBF (Vadodara) - Regarding.

सीएचएसएस लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के कैशलेस आधार पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, विभाग की मंज़ूरी से भापाबोसु (वडोदरा) और आउटसोर्स फ़ार्मेसी आउटलेट, वडोदरा (मेसर्स सेठ मेडिकल स्टोर्स) के बीच एक समझौता किया गया है। यह समझौता 24-06-2026 से 23-06-2028 तक या बोली की तय राशि का इस्तेमाल पूरा होने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगा। इसलिए, सभी सीएचएसएस लाभार्थियों को सीएचएसएस, भापाबोसु (वडोदरा) के इंचार्ज मेडिकल ऑफ़िसर / मेडिकल ऑफ़िसर द्वारा लिखी गई दवाएं, सीएचएसएस डिस्पेंसरी, हेवी वॉटर रेजिडेंशियल कॉलोनी, निज़ामपुरा, वडोदरा से जुड़े आउटसोर्स फ़ार्मेसी आउटलेट से लेनी होंगी।

In order to make hassle free provision of medicines to the CHSS beneficiaries on cashless basis, an agreement has been entered into between HWBF (Vadodara) and Outsourced Pharmacy Outlet, Vadodara (M/s. Sheth Medical Stores) w.e.f. 24-06-2026 to 23-06-2028 or till the utilization of agreed amount of bid, whichever is earlier, with the approval of the Department. As such all CHSS beneficiaries are required to obtain the medicines prescribed by the Medical Officer-in-charge / Medical Officer, CHSS, HWBF (Vadodara) from the outsourced pharmacy outlet attached with CHSS Dispensary, Heavy Water Residential Colony, Nizampura, Vadodara.

2. दवाएं चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उनके जेनेरिक नामों से निर्धारित की जाएंगी। कोई भी लाभार्थी ब्रांड नाम के अनुसार दवाएं लिखने पर जोर नहीं देगा। कृपया ध्यान दें कि चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त दवाएं/विकल्प निर्धारित करने के लिए सक्षम हैं और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

The medicines shall be prescribed by their generic names by the Medical Officers, HWBF (Vadodara). No beneficiary shall insist upon prescribing medicines as per brand name. It may please be noted that the Medical Officers are competent to prescribe suitable medicines / substitutes and their decision in this regard shall be final.

Contd...02/

3. यदि चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दवाइयाँ उक्त फार्मेसी आउटलेट पर उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि यह 48 घंटों के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी, भापाबोसु (वडोदरा) द्वारा दवाओं की अनुपलब्धता का एक मुहरबंद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इससे संबंधित सीएचएसएस लाभार्थी बाज़ार से ऐसी दवाएं खरीद सकेंगे और प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेंगे।

In case the medicines prescribed by the Medical Officers are not available at the said pharmacy outlet, then the same shall be made available within 48 hours by them. If the same are not made available within 48 hours, a stamped certification for non-availability of the medicines shall be issued by the concerned Medical Officer, HWBF (Vadodara). This will enable the concerned CHSS beneficiary to procure such medicines from the market and to claim reimbursement.

4. कृपया ध्यान दें कि उक्त फार्मेसी आउटलेट पर दवाओं की अनुपलब्धता के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी, भापाबोसु (वडोदरा) की पुष्टि के बिना बाजार से खरीदी गई दवाओं के लिए प्रतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा अधिकारी बाजार से दवाओं की खरीद के लिए पूर्वानुमोदन दे सकते हैं।

It may please be noted that no claims for reimbursement against the medicines purchased from the market without the certification of the Medical Officers for Non-availability of medicines at the said pharmacy outlet shall be accepted. In exceptional circumstances, considering medical urgency, Medical Officers, HWBF (Vadodara) may grant prior approval for purchase of medicines from market.

5. यह विशेष कार्य अधिकारी, भापाबोसु, वडोदरा की मंज़ूरी से जारी किया गया है ।

This issues with the approval of the Officer on Special Duty, HWBF, Vadodara

अ. करीम खान 24.6.26.

(अब्दुल करीम खान / Abdul Karim Khan)

प्रशासन अधिकारी-III / Administrative Officer-III

सभी कार्मिक, भापाबोसु (वडोदरा) / श्री फेसिलिटी, (वडोदरा) / एन.पी.सी. अई.एल (वडोदरा)

All the officials of HWBF (Vadodara) / SHRI Facility, Vadodara / NPCIL (QA), Vadodara

भापाबोसु (वडोदरा) के सभी सी.एच.एस.एस, हितभागी

All the CHSS beneficiaries registered with HWBF, Vadodara

सभी सूचना पट्ट All Notice Boards / CHSS Nizampura Dispensary, HWBF, Vadodara